न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

बईजलास श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0

दायर तारीख 05.04.2018

राजस्व प्रकरण संख्या 25/2018

अनवान

01. पिंकी पुत्री प्रभूलाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. रेखा पुत्री प्रभुलाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. ममता पुत्री प्रभुलाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. मनभर पुत्री प्रभुलाल जाति बलाई उम्र नाबालिग ब.बि.माता बदाम पत्नि प्रभूलाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..................वादीगण

बनाम

01. प्रभूलाल पिता नाराण जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. मु. प्यारी पुत्री नाराण जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. भंवरीबाई पत्नी मांगीलाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिजौलियां जरिये शाखा प्रबन्धक, बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री जगदीशचन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता वादीगण
2. सुनील बाकलीवाल – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: आदेश :–

दिनांक : 25/06/2019

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का जलीन्द्री तहसील बिजौलियां की सरहद में सम्वत 2046 से 2049 एवं इंससे पूर्व के राजस्व रेकॉर्ड में मृतक खातेदार नाराण पिता गोकल बलाई के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे शुदा जमीन आराजी नम्बर आराजी नम्बर 255 रकबा 3–10 बीघा, आराजी नम्बर 269 रकबा 2–12 बीघा, आराजी नम्बर 392/254 रकबा 3–07 बीघा, कुल किता 3 रकबा 9–09 बीघा भूमि में नाराण का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकॉर्ड हैं। नाराण की मुत्युपरान्त वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रेकॉर्ड चली आ रही हैं। जिसमें वादिया एवं प्रतिवादी नम्बर 1 का समान हिस्सा हैं।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों हिन्दु हैं एवं उन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुश्तैनी जमीन में खातेदार मृतक नाराण की समस्त चल अचल सम्पति में वादीगण का जन्म से अधिकार हैं। प्रतिवादी संख्या 1 हिन्दु कर्ता खानदान होने से उसके नाम दर्ज रेकॉर्ड की गयी किन्तु कर्ता खानदान होने से पुश्तैनी जमीन को विक्रय हस्तांतरण करने का अधिकार प्राप्त नही हैं। क्योंकि उक्त पुश्तैनी जमीन में वादीगण का भी हक हिस्सा निहित होकर प्रथम श्रेणी के उतराधिकारणिया है। तथा वादग्रस्त आराजीयात में खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा नही होकर 1/25 हिस्सा हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

एवं वादीगण का 1/25 – 1/25 यानि 4/15 हिस्सा हैं वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी होने से वादीगण को 4/15 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने योग्य हैं। वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अकेले नाम दर्ज रेकॉर्ड होने का अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादग्रस्त आराजीयात का विक्रय हस्तांतरण करने बाबत् सौदेबाजी करना प्रारम्भ कर दिया। वादीगण को वादग्रस्त जमीन पर काश्त नही करने की धमकिया भी दे रहा हैं। प्रतिवादीगण 1 वादीगण का पिता होकर भी वादीगण के साथ शराब पीकर मारपीट एवं लड़ाई झगडा कर घर से एवं वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 कभी भी वादीगण को बेदखल कर वादग्रस्त आराजीयात का विक्रय हस्तांतरण कर सकता हैं। इस आशय की धमकी भी प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को दिनांक 24.07.217 को दी। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध **स्थायी निषेधाज्ञा** प्राप्त करना आवश्यक हैं।

वादी ने अन्त में अनुतोष चाहा कि इस आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी नं0 1 सादिर फरमायी जावें कि ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का जलीन्द्री तहसील बिजौलियां की सरहद में सम्वत 2046 से 2049 एवं इससे पूर्व के राजस्व रेकॉर्ड में मृतक खातेदार नाराण पिता गोकल बलाई के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे शुदा जमीन आराजी नम्बर आराजी नम्बर 255 रकबा 3–10 बीघा, आराजी नम्बर 269 रकबा 2–12 बीघा, आराजी नम्बर 392/254 रकबा 3–07 बीघा, कुल किता 3 रकबा 9–09 बीघा भूमि वादीयागण की पुश्तैनी होकर वादियागण प्रत्येक का 1/25–1/25 यानि 4/25 हिस्सा होकर खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज खाता की जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गयी।

प्रतिवादी नं0 1 प्रभुलाल की ओर से ओमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता ने अधिकार पत्र पेश किया। तत्पश्चात् दिनांक 14.11.2017 को पेरवी से इन्कारी जाहिर की। प्रतिवादी नं0 3 भंवरीबाई स्वयं उपस्थित। भंवरीबाई की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता शीला तंवर ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया व दिनांक दिनांक 09.01.2018 को पैरवी से मना किया। प्रतिवादी नं0 4 भारतीय स्टेट बैक शाखा बिजौलियां की ओर से श्री मोहनलाल जोशी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी नं0 1 प्रभुलाल प्रथम बार सुनवाई की तत्पश्चात उपस्थित नही होने से गैर हाजरी दर्ज करते हुए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

प्रकरण एकपक्षीय होने से तनकीयात कायम नही की जाकर वास्ते साक्ष्यवादी में प्रकरण रखा गया।

वादीगण ने वादपत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किये।

1. जमाबन्दी संवत् 2046–49
2. जमाबन्दी संवत् 2070–2073

शहादत वादी में वादी ने पीडब्ल्यू 1 पिंकी व पीडब्ल्यू 2 गोपाल पिता जयराम बलाई के बयान कराये गये।

पीडब्ल्यू 1 पिंकी ने अपने बयान में लिखाया कि हमारी जमीन ग्राम रामपुरिया में होकर पुश्तैनी हैं। पहले यह जमीन मेरे दादाजी नाराणजी के नाम पर थी। नारणजी के शांत होने पर यह जमीन मेरे पिता प्रभुलालजी व भूवा प्यारी बाई के नाम पर गई। जमीन वर्तमान में शामलाती हैं कुलिया जमीन 9–09 बीघा हैं। जिसमें प्रतिवादी नम्बर 3 भंवरीबाई का 1/2 हिस्सा हैं। शेष 1/2 हिस्से में मेरे पिता प्रतिवादी नं0 1 का 1/4 हिस्सा हैं। तथा प्रतिवादी नं0 2 का 1/4 हिस्साहैं पुश्तैनी जमीन में अभी मेरे पिता प्रतिवादी नं0 1 प्रभुलाल के नाम 1/4 हिस्से से दर्ज होगी। भूमि अपने नाम पर होने से बेचना चाह रहे हैं। जबकि जमीन पुश्तैनी होने से हमारा 1/25, 1/25 वां हिस्सा बनता हैं। जिसके उन्हे बेचने से रोका जावे। पुश्तैनी जमीन में हम वादीगण के बनने वाले हिस्से का खातेदार काश्तकार

लगातार पेज संख्या 03 पर

Scanned by CamScanner

घोषित कराना फरमावें। में हिस्से की भूमि पर खेती कर रही हूं। मेरे पिता जमीन बेचने की धमकी दे रहे हैं। अतः उन्हें रोका जावें। मेंने वादग्रस्त जमीन के खाते की नकल पेश की जो Ex-1 हैं। मैंने जमाबन्दी सम्वत् 2046 से 2049 की नकल पेश की जो Ex-2 हैं। मुझे खातेदार घोषित किया जावें। विक्रय पर रोक लगाई जावें

।

पीडब्ल्यू 2 गोपाल ने अपने बयान में लिखाया कि मैं प्रभूलाल, पिंकी को जानता हूं उनकी ग्राम रामपुरिया में 4–15 बीघा भूमि हैं। जमीन अभी प्रभुलाल व प्यारी के खाते में हैं। जमीन प्रभुलाल के बाप दादाओं की हैं। प्रभुलाल के 4 बच्चिया हैं वे भी इस जमीन पर खेती कर रही हैं। मैं गांव का पडोसी होने से जानता हूं। जमीन को जानता हूं। आता जाता रहता हूं। पिंकी का भी वादग्रस्त जमीन पर कब्जा हैं पिंकी आती जाती हैं।

वादीगण द्वारा अन्य कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बंद की गई।

प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने पक्ष में किसी प्रकार की दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र किया तथा बताया कि वादीगण नाराण बलाई की प्रपुत्रिया हैं। प्रपुत्रिया होने से प्रथम श्रेणी की वारिसा हैं। भूमि नाराण बलाई के नाम दर्ज रेकॉर्ड पुश्तैनी हैं पुश्तैनी भूमि में जन्म से हक अधिकार हैं। भूमि वर्तमान रेकॉर्ड में सामलाती हक हिस्से में दर्ज रेकॉर्ड हैं। भूमि नाराण के नाम दर्ज होने से विक्रय हस्तांतरण पर उतारू हैं। सौदेबाज कर रहा हैं। अतः वादपत्र वादी डिक्री किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत् 2046–49 एवं 2070–73 के अवलोकन से ग्राम रामपुरिया पटवार मण्डल जलीन्द्री तहसील बिजौलियां की सरहद में सम्वत 2046 से 2049 एवं इससे पूर्व के राजस्व रेकॉर्ड में मृतक खातेदार नाराण पिता गोकल बलाई के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे शुदा जमीन आराजी नम्बर आराजी नम्बर 255 रकबा 3–10 बीघा, आराजी नम्बर 269 रकबा 2–12 बीघा, आराजी नम्बर 392/254 रकबा 3–07 बीघा, कुल किता 3 रकबा 9–09 बीघा भूमि में प्रार्थीगणो के दादा नाराण के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हैं। वाद पत्र प्रस्तुतकर्ता नाराण की प्रपुत्रिया हैं। प्रपुत्रिया होने के सम्बन्ध में वाद/शपथपत्र/बयान से स्पष्ट हैं की हिन्दु उत्तराधिकार कानून के तहत जन्म से ही हक अधिकार रखती हैं। **इस सम्बन्ध में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक 45 (1) राजस्व –6/97/18 दिनांक 08.01.2007 के अनुसार विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया हैं कि पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार हैं। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पति में पुत्र/पुत्री दोनों को जन्म से ही अधिकार होता हैं। इसलिए पुत्र/पुत्री दोनों ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन कर सकते हैं। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ–साथ पुत्र/पुत्री भी सह कृषक होते हैं। चाहे राजस्व रेकॉर्ड में इसका अंकन नही भी हो, इसलिए पुत्र/पुत्री अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवन काल में ही सह कृषक होनें के नाते विभाजन करा सकते हैं। यदि पैतृक भूमि के जोत विभाजन के सम्बन्ध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नही हो तो ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत् घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर जोत का विभाजन कराया जा सकता हैं।**

प्रस्तुत प्रकरण में पुश्तैनी भूमि में वादीगण का हक अधिकार हैं। प्रतिवादी नाराण द्वारा भूमियों को खुर्द बुर्द हस्तांतरण करना चाह रहा हैं। यदि प्रतिवादी के नाम भूमि दर्ज होने से विक्रय कर दी गयी तो वादीगण अपने हिस्से की भूमि से वंचित हो जायेगें। प्रतिवादी वादियान के साथ शराब पीकर

लगातार पेज संख्या 04 पर

Scanned by CamScanner

लडाई झगडा कर बेदखल करने पर आमादा हैं। भूमि को विक्रय कर सकता हैं। वादीगण के अनुसार नाराण के प्रपुत्रियां होने से प्रत्येक का 1/25, 1/25 हिस्से बनता हैं। किन्तु राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 का अवलोकन करने पर प्रत्येक वादीगण का हिस्सा 1/20 –1/20 बनता हैं। इसलिए वादीगण नाराण की प्रपुत्रिया होने से प्रत्येक को 1/20 – 1/20 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित हैं।

आदेश

अतः प्रस्तुत वादपत्र वादीयागण डिक्री किया जाने योग्य हैं। वादपत्र अर्न्तगत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री किया जाकर ग्राम रामपुरिया पटवार मण्डल जलीन्द्री तहसील बिजौलियां स्थित आराजी नम्बर आराजी नम्बर 255 रकबा 3–10 बीघा, आराजी नम्बर 269 रकबा 2–12 बीघा, आराजी नम्बर 392/254 रकबा 3–07 बीघा, कुल किता 3 रकबा 9–09 बीघा भूमि में वादियागणो के दादा नाराण के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हैं। में प्रत्येक वादीयागण को 1/20 – 1/20 यानि 4/20 अर्थात 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। साथ ही प्रतिवादीगण को **स्थाई निषेधाज्ञा** से पाबन्द किया जाता हैं कि वादीगण के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण दखलनदाजी नही करें। डिक्री मूर्तिब हों।

आदेश आज दिनांक 25/06/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner